न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **64 / 2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सज्जन कुमार पिता कन्हैयालाल सोडानी निवासी बीगोद त०माण्डलगढ	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी , भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		**—प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20 / 09 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 06.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 674214 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.05.2017 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.05.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 12 / 07 / 2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के पत्रांक 2439 दिनांक 25.07.2017 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक पत्रांक 2336 दिनांक 01.06.2017 प्रेषित किए जाने की प्रति संलग्न है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना निर्धारित अवधि में जरिये डाक प्रेषित किया जाना सिद्ध होने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएव अपीलार्थी को वांछित सूचना समयावधि में उपलब्ध करा दिए जाने से अपील खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20 / 09 / 2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा